IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांकः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड/पट्टा आवंटन अभियान बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र राजकाज क्रमांक 9793264 दिनांक 14.8.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 6 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि '' **विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को** अभियान के तहत पट्टे आवंटित किये जा रहे है। अतः राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–148 के परन्तुक में वर्णित प्रावधानानुसार नियम'148(1) के अनुसार आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी। ''

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 1 जुलाई, 2011 तथा 5.4.2017 को जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नियम–158 के तहत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए, नियम 145 से 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान जो कि निलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंधी प्रावधान हैं, की पालना किया जाना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है। अतः नियम 157 एवं 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर संबंधित पात्र व्यक्तियों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाये।

इस अभियान में नियम–158 के तहत ही पट्टें आवंटित किये जा रहे हैं, अतः उक्त दोनों बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.23 17:35:57 IST
Reason: Approved